## **न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर**

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0—82/2026

राज्य प्रति धन्नी एवं अन्य

12.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। सत्र परीक्षण संख्या 153/2021 सरकार बनाम मो0 असलम आदि में अभियुक्त मो0 जावेद के जामिनदार रज्जू अली पुत्र रफी व धन्नी पुत्र ईदू द्वारा अभियुक्त मो0 जावेद की जमानत मु0 20,000—20,000 रुपये की ली गई थी। अभियुक्त मो0 जावेद के उपस्थित नहीं आने के कारण उसके जामिनदारों के विरुद्ध जमानत धनराशि की वसूली हेतु वसूली अधिपत्र निर्गत किया गया, जिसके अनुपालन में अभियुक्त मो0 जावेद के जामिनदार रज्जू अली पुत्र रफी व धन्नी पुत्र ईदू द्वारा जमानत धनराशि मु0 20,000—20,000/— रुपये जमा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त मो0 जावेदन के जामिनदार रज्जू अली व धन्नी को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद को आगे संचालित किए जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। तद्नुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

**आदेश**

फौजदारी प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

( चंद्रोदय कुमार)
सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकर नगर
12.06.2026